दिनांक 25.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 25/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के दिये गये दिशा–निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री एच0सी0 अवस्थी द्वारा पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे को अवैध आग्नेयास्त्र के निर्माण व विपणन में लिप्त अपराधियों एवं अवैध अग्नेयास्त्र के निर्माण करने वालो को अग्नेयास्त्र के कलपुर्जे उपलब्ध कराने वाले अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के संबंध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गयेः–

- अवैध शस्त्रों के निर्माण व विपणन आदि अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया जाये जो इस अवैध कारोबार में पिछले 05 वर्षों से लिप्त रहे हैं।
- इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के डोजियर तैयार कर उनकी वर्तमान गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल/पार्ट्स आदि के प्राप्ति के स्रोतों की जानकारी कर वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- इस प्रकार के अपराधों में लिप्त अपराधी जो वर्तमान में फरार चल रहे हैं उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

- पंजीकृत अभियोगों की विवेचना शीघ्रता से पूर्ण कराकर गुण–दोष के आधार पर आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रस्तुत किये जायें।
- आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त मा0न्यायालय में अभियोगों की प्रभावी पैरवी की जाये।

- **आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समस्त वरिष्ट पुलिस अधिकारियों को समय–समय पर विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में कार्यवाही हेतु मुख्यतः निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।**

- विगत 05 वर्षो में सम्पन्न हुए सामान्य निर्वाचन के दौरान घटित घटनाओं का विश्वेषण कर विधिक कार्यवाही की जाये।
- पूर्व में घटित चुनाव सम्बन्धी अपराधों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों की निगरानी की जाये।
- अपराधी तत्वों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध प्रभावी बैधानिक कार्यवाही की जाये।
- सार्वजनिक स्थानों पर लाईसेंसी असलहों के साथ खुले प्रदर्शन व काफिलों पर अंकुश एवं मा0 चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जाये।
- लम्बित गैर जमानती वारण्टो के तामीला हेतु अभियान चलाकर वारण्टियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम/गैंगेस्टर अधिनियम/गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- असामाजिक तत्वों के स्थान विशेष पर आकर रूकने व गड़बड़ी फैलाने की संभावना के दृष्टिगत सरॉय, धर्मशालाओं एवं होटलों की प्रभावी चेकिंग नियमानुसार की जाये।
- लाईसेंसी शस्त्रों का सत्यापन कराया जाये, तथा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से लाईसेंसी शस्त्र दुकानों की चेकिंग नियमानुसार की जाये।

- बीट आरक्षी/ग्राम चौकीदार तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई को और अधिक सक्रिय कर छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से संज्ञान में लेकर उनका त्वरित निस्तारण किया जाये।
- अवैध शस्त्रों/शस्त्र फैक्ट्री के विरूद्ध संघन अभियान चलाकर उनकी बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाये।
- अवैध शराब की बरामदगी ध्तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- अवैध शराब बनाने की भट्ठियों की बरामदगी हेतु अभियान चला कर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➢ **उक्त निर्देशों के क्रम में अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब आदि के विरूद्ध प्रदेश में दिनांक 07.03.2021 से अभियान चलाकर कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 24.03.2021 तक कृत कार्यवाही की विवरण निम्नवत है।**

<u>अवैध शस्त्र /फैक्ट्रियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही</u>

बरामदगी/कृत कार्यवाही बिन्दु	**संख्या**
बरामद फैक्ट्री निर्मित अवैध अग्नेयास्त्र की संख्या	42
बरामद देशी अवैध अग्नेयास्त्रों की संख्या	1623
बरामद अवैध कारतूसों की संख्या	2,943
बरामद अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की संख्या	34
जब्त किये गये शस्त्रों की संख्या	334
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	81

<u>अवैध शराब /भट्ठियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही</u>

बरामदगी/कृत कार्यवाही बिन्दु	**संख्या**
बरामद कुल अवैध शराब	3,64,418.06 लीटर
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या(अवैध शराब)	9,262
बरामद अवैध शराब भट्ठियों की संख्या	1316
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या(अवैध शराब भट्ठी)	1330

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेड़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 26 लाख रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 24.03.2021 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दया शुगर मिल के सामने हरियाबांस वाले रास्ते पर बाग के सामने से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1—सोहनवीर उर्फ सोनू, 2—सन्दीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 26 लाख रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.03.2021 को थाना गागलहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2021 धारा 394 भादवि में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोहनवीर उर्फ सोनू निवासी नगला महापत थाना राया जनपद मथुरा।

2—सन्दीप कुमार निवासी करील थाना मुरसान हाथरस हालपता मो0 कोशरपुर मन्दिर वाली गली नं0—02 थाना न्यू आगरा।

बारमदगी

1—लूट के 26 लाख रूपये नगद।

2—01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद बागपत/थाना बागपत

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24.03.2021 की रात्रि थाना बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वंदना चौक कस्बा बागपत से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त इन्तजार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2021 धारा 147/148/149/307/411/414 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इन्तजार निवासी कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

जनपद खीरी/थाना पलिया

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.03.2021 को थाना पलिया व जनपद लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सम्पूर्णानगर रोड स्थित एसके कार बाजार के पास से चेकिंग के दौरान 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शीबू उर्फ शहबाज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चिनहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 423/2020 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471/484/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शीबू उर्फ शहबाज निवासी मो0 रंगरेजान कस्बा व थाना पलिया खीरी।

जनपद बरेली/थाना नवाबगंज

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 25.03.2021 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला ग्राउन्ड नवाबगंज के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर 1—अनुज कुमार उर्फ लालू, 2—अरविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दो पहिया वाहनो की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुज कुमार उर्फ लालू निवासी मो0नयासपुर डिग्री कालेज रोड कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

2–अरविन्द कुमार निवासी दौलतपुर पट्टी थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–07 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना त्रिलोकपुर

- **शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 निर्मित, 11 अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 25.03.2021 को थाना त्रिलोकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त इरशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 निर्मित, 11 अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इरशाद निवासी वासा दरगाह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—04 निर्मित, 11 अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा।

2—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद बांदा/थाना कोतवाली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 26 लाख 03 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद बांदा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी पप्पू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 26 लाख 03 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद सीतापुर/थाना रामकोट(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद न्यायधीश सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त श्रीराम यादव को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद सीतापुर/थाना इमिलिया सुलतानपुर(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01—01 लाख रूपये का अर्थदण्ड)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0—16 पॉक्सो एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमिलिया सुलतानपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376घ भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 1—धर्मेन्द्र व 2—विक्रम को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01—01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 88 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/स्पेशल (पॉक्सो एक्ट) जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/363/376/201 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में विचारण के उपरान्त अभियुक्त संतकुमार को आजीवन कारावास की सजा व 88 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 70 हजार के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/302/201 भादवि में अभियुक्तो 1—बदरूद्दीन, 2—शाहिद, 3—अबरार को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बिजनौर/थाना नगीना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/376/302/201 भादवि व धारा 4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त नदीम उर्फ छोटा को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————